

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-429/2019

अमजद अली पुत्र शमशाद अली जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. शहनशाह पुत्र सिकन्दर आजम } जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील
2. सलमान खां पुत्र सिकन्दर आजम } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सिकन्दर आजम पुत्र शमशाद अली } प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी को चकनं 11 सीडीआर के खाता सं 187/141 में प्रतिवादी सं 1 शहनशाह का 7/92, प्रतिवादी सं 2 सलमान खां का 127/1656 हिस्सा व प्रतिवादी सं 3 सिकन्दर आजम का 449/1656 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चकनं 2 एसआर डबल्यू के खाता सं 6 में से वादी अमजद अली के 1.139/2277 है 0 में से प्रतिवादी सं 1 को .127 है 0 व प्रतिवादी सं 2 सलमान खां को .126 है 0 व प्रतिवादी सं 3 सिकन्दर आजम को .506 है 0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं 11 सीडीआर के खाता सं 187/141 में शहनशाह, सलमान खां, सिकन्दर आजम का नाम कलमजन तथा चकनं 2 एसआर डबल्यू के खाता सं 6 में से वादी अमजदली का हिस्सा कम कर व शेष हिस्सा वादी का यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....24/2/19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
दिब्बी